(c) the time frame therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The divergence of views was mainly on the following points:—

(i) Whether the Union Government can issue show cause notice in exceptional circumstances without the Governor's report.

(ii) Need for provision to invoke article 256 without notice if the State Government encourages action posing threat to.

(a) secular fabric of society.

(b) national security and integrity.

(iii) Whether approval of Parliament should precede or follow the Proclamation.

(iv) Whether approval should be with simple or two-thirds majority.

Efforts will continue to evolve a consensus on the issue.

Transfer of Cases of Killings from Ghaziabad to Meerut

84. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government had given any direction to the Government of Uttar Pradesh to transfer the cases relating to killings of 25 persons of Hashimpura, U.P. from Ghaziabad to Meerut;

(b) if so, the details thereof and the response of the Government of U.P. in regard thereto; and

(c) the Central Government's reaction in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) In June, 1997 a suggestion was received that the case relating to the killings at Hashimpura be transferred to Meerut. The Government of Uttar Pradesh was asked to consider the matter. The State Government however, feels that it will not be desirable to transfer the case in view of its sensitivity.

राज्यो में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

85. **श्री इकबाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जम्मे और कश्मीर जैसे राज्यों मे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य न होने के क्या कारण हैं

(ख) क्या यह सच हैं कि देश की ऐसी दुर्दशा के लिए जातिवाद, भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद तथा राजनीति का अपराधीकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, और

(ग) यदि हां, तो इन सभी विकृतियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या रणनीति तैयार की हैं ताकि देश में स्थिति सामान्य की जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है। जम्मू एवं कश्मीर, असम एवं पूर्वोत्तर में कानून एवं व्यवस्था की अशांत स्थिति का एक बड़ा कारण यह हैं कि ये राज्य, सीमा पार से प्रायोजित एवं समर्थित आतंकवादी विधायक गतिविधिसयों द्वारा प्रभावित है।

(ग)स्थिति पर कड़ी और लगातार नजर रखी जा रही हैं और आतंकवादी एवं विध्वंसक तत्वों को साफ सतत अभियान चलाने सहित सभी जरूरी कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाते हैं कि क्रायन्वित राज्यों में समान्य स्थिति बहाल की जा सके राज्य और केन्द्र दोनो ही सरकारें इन राज्यों में शातिं एव सक्षरता लाने के लिए सतत आधार पर जरूरी उपाय कर रही है। संविधान के अधीन "लोक व्यवस्था" एवं "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इस लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की हैं। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उपाय खोजने और उपयुक्त उपाय करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की हैं। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के संपर्क में रहती

हैं और स्थिति का लगातार प्रबोधन और समीक्षा करती हैं। जब भी जरूरी होता हैं तो आधुनिक हथियारों , अर्द्व सैन्य बलो की तैनाती और पुलिय बल के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता आदि के रूप में राज्य सरकारों को उचित सहायता दी जाती हैं।

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों द्वारा मारे गए सीमा सुरक्षा बल के जवान

86. **श्री राम गोपाल यादव** :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् पिछले तीन महीनों में पूर्वोत्तर विशेषकर मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान मारे गए

(ख) क्या सरकार उग्रवदियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के जवानों/ नागरिकों की हो रही हत्याओ के प्रति मूकदर्शक बनी रहेगी, यदि नही, तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों सहित अन्य लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कारगर कदम उठाए हैं

(ग) मई माह के तीसरे सप्ताह में मणिपुर मे उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान मारे गए और

(घ) सरकार ने उन मृत जवानों के परिवार के सदस्यों /आश्रितों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए हैं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान केवल एक घटना हुई जिसमें सीमा सुरक्षा बल के 11 कार्निक मारे गए और तीन जख्मी हुए, जब उग्रावादियों द्वारा 21 मई, 1997 को सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर घात लगा कर हमला किया गया।

(ख) उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर केंद्र सरकार गहन निगरानी रख रही हैं और समय समय पर स्थिति की समीक्षा कर रही हैं। तदनुसार ही राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से सलाह दी जाती हैं और जब कभी आवश्यक होता हैं सेना और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के स्तरं मे बढ़ोत्तरी की जाती हैं। सीमा सुरक्षा बल पर घात लगा कर हमला करने के बाद, केन्द्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल प्राधिकारियों को उपयुक्त रूप से सलाह दी हैं कि घात लगा कर इस प्रकार के हमले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाएं जाएं।

(ग) म्यारह।

(घ) विद्रोह विरोधी अभियानों में मारे गए सीमा सुरक्षा बल और अर्ध सैनिक कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को उदार पेंशन अवार्ड और अनुग्रहपूर्वक अदायगी जैसी विभिन्न वित्तीय सहायता दी जाती है।

Border Skirmishes with Pakistani Troops

87. SHRI VED PRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the recent border skirmishes with Pakis tani troops in the Western Sector of the country;

(b) if so, what effective/preventive steps Government have taken so far;

(c) whether Government have also taken into consideration the frequent border skirmishes in Kargil and other sectors during the bilateral talks with Pakistani representatives;

(d) the position/status of fencing the border and what percentage has been covered: and

(e) by when the remaining portion and other sectors, where skirmishes and infiltration often takes place, is expected to be covered?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) Yes, Sir. The Government are aware of the border skirmishes with Pakistani troops on Indian Posts on Jammu International Border. However, no,such incident on Punjab, Rajasthan and Gujarat borders has been reported.

(b) On Jammu border, 3 additional battallions of BSF have been provided for border deployment to counter Pak ac-I tivities.